दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर म.प्र.

R-2079-PBR/2011

प्रकरण क्रं/ /निगरानी

सादिक अली पुत्र स्व. श्री बरकतअली खान उम्र 62 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी-ग्वालियर पॉटरीज के सामने हाकिम अनवरखां साहिब की बगिया कम्पू लश्कर ग्वालियर हाल-कटीघाटी रामाजी का पुरा ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर ।

.....प्रार्थी

विरूद्ध

1. मोहम्मद सुलेमान खान पुत्र स्व. श्री मोहम्मद याकूब खान निवासी-न्यू दुर्गा कॉलोनी गुना
2. मै. इंटीग्रेटेड डॉट कॉम सर्विसेज प्रा. लि. जर्ये डायरेक्टर श्रीमती जानकी देवी झंवर पत्नी दामोदरदास निवासी-सराफा बाजार लश्कर ग्वालियर
3. मुन्नी बेगम पत्नी मोहम्मद जब्बार खां निवासी-हकीम जी की बगिया आमखो लश्कर ग्वालियर (फॉर्मल रेस्पोन्डेन्ट)
4. साबिर अली खां पुत्र सादिक अली खान निवासी-रामाजी का पुरा ए.बी. रोड लश्कर ग्वालियर **....प्रतिप्रार्थीगण**

R 9.12.11

P.N. Sharma Advocate
Sharma 9.12.11

प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध एडीशनल कमिश्नर ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 480/10-11/अपील आदेश दिनांक 13.09.2011 अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नानुसार सेवा में प्रस्तुत है :-

निगरानी के मुख्य तथ्य :-

1. यहकि, ग्राम डोंगरपुर पुतलीघर स्थित कृषि आराजी के नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रार्थी के द्वारा अपील एस.डी.ओ. ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तत्पश्चात धारा 30 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत जिला कलेक्टर ग्वालियर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया इसमें श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा विशिष्ट बिन्दु स्थापित करते हुये प्रकरण की सुनवाई हेतु न्यायालय एस.डी.ओ. ग्वालियर के स्थान पर एस.डी.ओ. डबरा की और अपील को अंतरित किया गया । जिसमें एस.डी.ओ. डबरा के द्वारा पट्टे पर आधारित नामांतरण की जांच कराई गई तथा उसमें पट्टा भू- अभिलेख अधीक्षक की जांच में फर्जी पाया गया । इस पट्टे के संदर्भ में भा.द.संहिता की धारा 420, 467 एवं अन्य धाराओं में मूल भूमि

क्रमशः.....2

प्रकरण कमांक R 2079–पीबीआर/2011 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–4–2014	मृत आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषकों द्वारा आवेदक के वारिसानों को अभिलेख पर लिये जाने के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि आवेदक की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए आवेदक द्वारा वारिसानों को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना संभव नहीं था, और आवेदक की मृत्यु हो जाने के कारण उनके अधिवक्ता का भी अधिकार समाप्त हो गया है, इसलिए अनावेदकगण का दायित्व था कि वे निर्धारित समय में मृत आवेदक के वारिसानों को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते । यह भी कहा गया कि उनके द्वारा सिर्फ न्यायालयीन कार्यवाही आगे प्रचलित रहने एवं न्यायालय का सहयोग करने की दृष्टि से आवेदक के वारिसानों को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिए 90 दिवस की समय–सीमा लागू नहीं होगी । 2/ प्रत्युत्तर में अनावेदक कमांक 2 एवं 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा मृत आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । यह भी कहा गया कि आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा स्वयं यह कहा जा रहा है कि आवेदक की मृत्यु हो जाने से उनके अधिकार समाप्त हो गए हैं, तब उनके द्वारा आवेदन पत्र किस अधिकार से प्रस्तुत किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा 90 दिवस	

R 2079-PBR/11 Gwl

के पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत विलम्ब क्षमा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही वारिसानों को अभिलेख पर लाने के आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

3/ आवेदन पत्र को देखने से स्पष्ट है कि श्री पी.एन. शर्मा, अभिभाषक द्वारा मृत आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस संबंध में उनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि आवेदक की मृत्यु होने के कारण उनके अधिकार समाप्त हो गए हैं, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इसी आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है । इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक की मृत्यु दिनांक 7–6–2012 को हो चुकी है, और उनके द्वारा मृत आवेदक के वारिसानों को अभिलेख पर लाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 4–1–2013 को 6 माह पश्चात प्रस्तुत किया गया है, जबकि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु 90 दिवस की समय–सीमा निर्धारित है । उनके द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत न तो कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और न ही वारिसानों को अभिलेख पर लिए जाने के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः उक्त आवेदन पत्र अवधि बाह्य एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप भी प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण भी निरस्ती योग्य है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत मृत आवेदक के वारिसानों को अभिलेख पर लाये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है । फलस्वरूप यह निगरानी अबेट होने से निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष